

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/सा०चि०पदा०-153/2024- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2026

डा० क्वीटी कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पन्नूचक, कहलगँव, भागलपुर द्वारा दिनांक-01.07.2023 से 31.12.2023 तक प्रथम संतान के प्रसव हेतु उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 के आलोक में निम्नवत स्वीकृत किया जाता है :-

- (i) दिनांक-01.07.2023 से 27.12.2023 तक - कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों को मातृत्व अवकाश के रूप में।
- (ii) दिनांक-28.12.2023 से 31.12.2023 तक - कुल-04 (चार) दिन देय अवकाश के रूप में।

2. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/सा०चि०पदा०-153/2024- 29/12 पटना, दिनांक 08/01/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पन्नूचक, कहलगँव, भागलपुर/कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर/डा० क्वीटी कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पन्नूचक, कहलगँव, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

W. K. K. 11/26
सरकार के उप सचिव।
A